रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, बुधवार, 25, 2016/ज्येष्ठ 4, 1938
No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/ JYAISTHA 4, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 मई, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/004.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में :–

(I) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -

(1) खंड (ड) में, चिह्न "।" के लिए, चिह्न ";" प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

(2) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात, -

"(ढ) "इरादतन चूककर्ता" से वह निर्गमकर्ता (इश्युअर) अभिप्रेत है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) के अनुसार, किसी बैंक या वित्तीय संस्था या उनके कनसॉर्टियम द्वारा, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जिसमें वह निर्गमकर्ता सम्मिलित है जिसके निदेशक (डायरेक्टर) या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) को इस रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।"

(II) विनियम 4 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(1) कोई भी निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का कोई सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) नहीं लाएगा, यदि इन विनियमों में यथा उपबंधित प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) या अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख को :

(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) अथवा निर्गमकर्ता पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति या उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या उसके निदेशक (डायरेक्टर) को बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में पहुँच रखने से या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यौहार (लेनदेन) करने से अवरुद्ध या प्रतिषिद्ध या विवर्जित किया गया हो; या

(ख) निर्गमकर्ता अथवा उसका कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक (डायरेक्टर) इरादतन चूककर्ता हो, या उसने स्वयं द्वारा जनता को निर्गमित (इश्यूड) ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़), यदि कोई हों, के संबंध में, छह महीनों से अधिक की अवधि तक, ब्याज अदा करने में या मूलधन की रकम की चुकौती (का प्रतिसंदाय) करने में चूक की हो ।"

(III) अनुसूची I में, पैरा 3 में, उप-पैरा ख के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"ग. इरादतन चूक संबंधी प्रकटीकरण

(1) निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर लाई गई ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएँगे :

(क) उस बैंक का नाम, जिसने उस एंटिटी को इरादतन चूककर्ता घोषित किया हो;

(ख) वह वर्ष, जिसमें उस एंटिटी को इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया हो;

(ग) उस समय बकाया रकम, जब उस एंटिटी को इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया हो;

(घ) उस एंटिटी का नाम, जिसे इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया हो;

(ङ) इरादतन चूककर्ताओं की सूची से नाम हटाए जाने के लिए उठाए गए कदम, यदि कोई हों;

(च) ऐसे अन्य प्रकटीकरण, जो निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को सोच-समझकर निर्णय लेने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा उचित समझे जाएँ;

(छ) बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य प्रकटीकरण ।

(2) इस तथ्य को मुख पृष्ठ (कवर पेज) पर (संबद्ध पृष्ठों की संख्या का उल्लेख करते हुए) प्रमुखता से प्रकट किया जाएगा कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) अथवा उसका कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक (डायरेक्टर) इरादतन चूककर्ता है ।

(3) यहाँ निर्धारित प्रकटीकरण एक अलग अध्याय या खंड में किए जाएँगे और जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुक्रमणिका (इंडेक्स) / विषय-सूची में किया जाएगा ।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./109]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 द्वारा, 6 जून 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :
   (क) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392, द्वारा
   (ख) 31 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/43/207, द्वारा
   (ग) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
   (घ) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एम./2014-15/25/539, द्वारा
   (ङ) 2 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th May, 2016

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/004.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations

to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2016.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008: -

(I) In regulation 2, in sub-regulation (1),-

(1) in clause (m), for the symbol ".", the symbol ";" shall be substituted.

(2) after clause (m), the following clause shall be inserted namely, -

"(n) "wilful defaulter" means an issuer who is categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India and includes an issuer whose director or promoter is categorized as such."

(II) In regulation 4, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely, -

"(1) No issuer shall make any public issue of debt securities if as on the date of filing of draft offer document or final offer document as provided in these regulations:

(a) the issuer or the person in control of the issuer or its promoter or its director is restrained or prohibited or debarred by the Board from accessing the securities market or dealing in securities; or

(b) the issuer or any of its promoters or directors is a wilful defaulter or it is in default of payment of interest or repayment of principal amount in respect of debt securities issued by it to the public, if any, for a period of more than six months."

(III) In Schedule I, in paragraph 3, after sub- paragraph B, the following sub- paragraph shall be inserted namely,-

"C. Disclosures pertaining to wilful default

(1) In case of listing of debt securities made on private placement, the following disclosures shall be made:

(a) Name of the bank declaring the entity as a wilful defaulter;

(b) The year in which the entity is declared as a wilful defaulter;

(c) Outstanding amount when the entity is declared as a wilful defaulter;

(d) Name of the entity declared as a wilful defaulter;

(e) Steps taken, if any, for the removal from the list of wilful defaulters;

(f) Other disclosures, as deemed fit by the issuer in order to enable investors to take informed decisions;

(g) Any other disclosure as specified by the Board.

(2) The fact that the issuer or any of its promoters or directors is a wilful defaulter shall be disclosed prominently on the cover page with suitable cross-referencing to the pages.

(3) Disclosures specified herein shall be made in a separate chapter or section, distinctly identifiable in the Index / Table of Contents."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT-III /4/Exty./109]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India on 6th June, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/13/127878

2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 was subsequently amended on:

(a) October 12th, 2012 by SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392.

(b) January 31st, 2014 by SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207.

(c) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
(d) March 24th, 2015 by SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/25/539.
(e) September 2nd, 2015 by SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.